न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 81 / 2020

सरकार बनाम रामनिवास,कैलाश पुत्रगण छोटेलाल, जाति–ब्राहमण, निवासी–बिशनपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 02.11.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलन उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलन रामनिवास,कैलाश पुत्रगण छोटेलाल, जाति–ब्राहमण, निवासी–बिशनपुरा द्वारा रोही मौजा बिशनपुरा (जाखोद) की भूमि ख.नं. 5 के कुल रकबा 63.17 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर तार व बाड लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलन को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलन की ओर से जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपना कब्जा पुराना बताया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलन को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 06 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं. 28 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 6/- कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़